मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 26-03-2018 के आश्वासन)

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 26-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
487	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.4578) दि. 26-03-2018 (श्री मुकेश नायक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	(1) जिला पन्ना के बिलखुरा व सिरस्वाहा बांध टूटने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार खरे, श्री गोविन्द प्रसाद उपाध्याय एवं श्री रमाकांत उपाध्याय के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण कर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) सिरस्वाहा जलाशय का घटिया निर्माण के कारण जलाशय के टूटने पर पुन: मरम्मत एवं निर्माण कार्य पर किये गये व्यय रूपये 2.00 करोड़ की राशि दोषी निर्माण एजेंसी मे.त्रिशुल कंस्ट्रक्शन कंपनी से वसूली की जाना।	(1) दोषी अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार खरे, कार्यपालन यंत्री, श्री गोविन्द प्रसाद उपाध्याय, सहायक यंत्री एवं श्री रमाकांत उपाध्याय, उपयंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। (2) सिरस्वाह जलाशय की मरम्मत एवं निर्माण पूर्ण कराने के लिए रू. 02.00 करोड़ का व्यय हुआ है, जिसकी वसूली दोषी निर्माण एजेंसी मे. त्रिशुल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जबलपुर पर आरोपित की गई है।		
488	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.4496) दि. 26-03-2018 (श्री तरूण भनोत) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए कार्यों में गुणवत्ता संबंधी कमियों की विभागीय जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) द्वारा निरीक्षण उपरांत जिन कार्यों में गुणवत्ता संबंधी कमियां पाई गई उन पर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 26-03-2018 के आश्वासन)

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | दिनांक: 26-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
489	अतारांकित प्रश्न सं.101 (प्रश्न क्रं.5673) दि. 26-03-2018 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश के समस्त कन्या छात्रावासों में सेनेटरी वेंडिंग मशीन लगाया जाना।	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के सभी कन्या छात्रावासों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 26-03-2018 के आश्वासन)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | दिनांक: 26-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
490	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्र.5462) दि. 26-03-2018 (श्रीमती शकुन्तला खटीक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला शिवपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को व्यावसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता का यथाशीघ्र भुगतान किया जाना।	यथाशीघ्र।		
491	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्र.5414) दि. 26-03-2018 (श्री निशंक कुमार जैन) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला दतिया के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.एस. गुप्ता के विरूद्ध प्राप्त अनियमितता की शिकायत पर जांच उपरांत जारी आरोप पत्र के प्राप्त प्रतिवाद अनुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय जांच प्रारंभ कर संचालनालय के पत्र क्र. 04/शिका./सेल-7/ दतिया/2018/372-373, दिनांक 20.02.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी डॉ. गुप्ता को आरोप पत्र जारी किये गये हैं।		
492	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्र.5689) दि. 26-03-2018 (श्रीमती पारूल साहू केशरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला सागर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त आवेदनों पर म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि से स्वीकृत राशि भुगतान हेतु शेष 641 हितग्राहियों को भुगतान कराया जाना।	641 हितग्राहियों के प्रकरण भुगतान हेतु शेष हैं।		
493	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्र.5165) दि. 26-03-2018 (श्रीमती ऊषा चौधरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	(1) जिला सतना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रैगॉव में पदस्थ डॉ. आशीष त्रिपाठी एवं डॉ. ऋचा द्विवेदी के मुख्यालय में न रहने की प्राप्त शिकायत पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) पदस्थ चिकित्सक पदस्थापना स्थल पर न रहने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्टया में संबंधित दोनों चिकित्सा अधिकारियों का दोषी होना प्रतीत होता है। इनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। (2) परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
494	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.100 (प्रश्न क्रं.5728) दि. 26-03-2018 (श्री कमलेश शाह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला विदिशा में वर्ष 2015-16, 2016-17 में की गई फर्जी नियुक्तियों की जांच एवं कार्यवाही ।	(1) जी हॉ । विदिशा जिले में हुई फर्जी नियुक्तियों के संबंध में पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की जाकर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जप्त किये जाकर जांच की जा रही है । (2) उत्तरांश (ख अनुसार जांच तथ्यों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
495	अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.4221) दि. 26-03-2018 (डॉ. कैलाश जाटव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	विधानसभा क्षेत्र गोटेगॉव अंतर्गत मुंगवानी उपस्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जाना ।	उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
496	अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.5149) दि. 26-03-2018 (श्री कमल मर्सकोले) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	जिला विदिशा में वर्ष 2015-16, 2016-17 में विभाग में हुई फर्जी नियुक्तियों में लिप्त लिपिक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना ।	पुलिस विवेचना अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 26-03-2018 के आश्वासन)

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग — दिनांक: 26-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
497	अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1002) दि. 26-03-2018 (श्री अरूण भीमावद) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	प्रदेश की विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाना।	जी हाँ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन
(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 26-03-2018 के आश्वासन)

संस्कृति विभाग | दिनांक: 26-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
498	अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.4429) दि. 26-03-2018 (श्री मुरलीधर पाटीदार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 25-06-2018)	(1) उज्जैन संभाग अंतर्गत विगत 03 वर्षों में राज्य संरक्षित स्मारकों को राज्य संरक्षित से मुक्त कर समाज जनों को सौंपने हेतु प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही की जाना। (2) प्रश्नकर्ता मा.सदस्य के पत्र क्र. 771-1 दिनांक 25.04.2017 के संदर्भ में श्री राम मंदिर, डोंगरगॉव को राज्य संरक्षित स्मारक से मुक्त किया जाना।	(1) एक आवेदन पत्र प्राप्त जिसमें कार्यवाही प्रचलित है। (2) निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषप्रद न होने से पुन: निरीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है।		